कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष –स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ,म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

<u>दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीव पेंगोलिन के अवयवों की तस्करी एवं अवैध व्यापार में शामिल 04 आरोपियों को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने पकड़ा</u>

<u>प्रेस विज्ञप्ति (35/26, दिनांक 09.06.2026)</u>

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की क्षेत्रीय इकाई जबलपुर को वनयजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों से प्राप्त सूचना के आधार पर कटनी जिले के ग्राम झिन्ना पिपरिया, खमतरा, ढिमरखेडा रोड पर घेराबंदी कर विधिवत कार्यवाही करते हुये दिनांक 08.06.26 को 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 5 किलोग्राम पेंगोलिन की शल्क (स्क्रैल), 01 मोटर साइकिल एम.पी. 20 एन यू 5614, 01 नग चार पहिया वाहन सिट्रान सी- 3 क्रमांक एम.पी-20 –जेड क्यू 6904 जप्त कर, वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/24 दिनांक 08.06.26 दर्ज किया गया। दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 2022) की अनुसूची प्रथम के तहत संरक्षित है। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. देवीदीन विश्वकर्मा पिता फूलशाह निवासी रैपुरा जिला डिन्डोरी
2. कृपाल सिंह मरकाम पिता दशरथ निवासी डोंगरगांव जिला उमरिया
3. मुकेश कुमार विश्वकर्मा पिता श्यामसुन्दर निवासी डोंगरगांव जिला उमरिया
4. विजय कुमार ग्राय पिता रमेश कूमार निवासी घमापुर जबलपुर

उक्त आरोपियों को एसटीएसएफ हेतु अधिकृत माननीय विशेष न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया फॉरेस्ट रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है आरोपी का उपरोक्त कृत्य गंभीर वन्यजीव अपराध की श्रेणी में आता है। जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 2022) की धारा 9, 39, 48ए, 51, 52 एवं भारतीय वन अधिनिमय 1927 की धारा 41 का उल्लंघन किया गया है। आरोपी का उपरोक्त कृत्य संज्ञेय एवं गैर जमानतीय अपराध की श्रेणी में आता है एवं धारा 51 के अर्न्तगत् न्यूनतम 3 वर्ष एवं अधिकतम 7 वर्ष तथा न्यूनतम जुर्माना राशि रूपये 25 हजार से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन संकटप्रद प्रजातियों में से एक है जिसकी परिस्थातिकीय तंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल